रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4
लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 26 फरवरी, 1982
फाल्गुन 7, 1903 शक सम्वत्

मूल अधिनियम, 1982

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग—1

संख्या 755/सत्रह-वि0-1—101-81
लखनऊ, 26 फरवरी, 1982

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड विधेयक, 1981 पर दिनांक 25 फरवरी, 1982 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1982 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम, 1982

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1982]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

इण्टरमीडियेट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन मान्यता प्राप्त संस्थाओं में अध्यापकों के चयन के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड स्थापित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 कहा जायगा।

(2) यह 14 जुलाई, 1981 को प्रवृत्त समझा जायगा सिवाय धारा 21 के जो ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगी जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे ।

परिभाषायें

2—इस अधिनियम में,—

(क) "बोर्ड" का तात्पर्य धारा 12 के अधीन स्थापित माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से है;

(ख) "अध्यक्ष" का तात्पर्य आयोग के अध्यक्ष से है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, तत्समय अध्यक्ष के कृत्यों का सम्पादन करने वाला कोई अन्य व्यक्ति भी है;

(ग) "आयोग" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग से है;

(घ) "निदेशक" का तात्पर्य शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश से है और इसके अन्तर्गत अपर शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश भी है ;

(ङ) "संस्था" का तात्पर्य इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन मान्यता प्राप्त किसी इण्टरमीडिएट कालेज या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (हायर सेकेन्डरी स्कूल) या हाई स्कूल से है और "संस्था" के अन्तर्गत किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पोषित संस्था भी है किन्तु राज्य सरकार द्वारा पोषित कोई संस्था नहीं है ;

(च) "प्रबन्ध तंत्र" का तात्पर्य किसी संस्था के संबंध में ऐसी प्रबन्ध-समिति या ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी से है जिसमें उस संस्था के कार्यकलाप का प्रबन्ध और संचालन करने की शक्ति निहित हो ;

(छ) "सदस्य" का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है और "सदस्य" के अन्तर्गत आयोग का अध्यक्ष भी है ;

(ज) "सभापति" का तात्पर्य बोर्ड के सभापति से है और "सभापति" के अन्तर्गत सभापति की अनुपस्थिति में तत्समय सभापति के कृत्यों का सम्पादन करने वाला कोई अन्य व्यक्ति भी है ;

(झ) "विनियम" का तात्पर्य धारा 34 के अधीन बनाये गये किसी विनियम से है;

(ञ) "अनुसूची" का तात्पर्य इस अधिनियम की अनुसूची से है ;

(ट) "अध्यापक" का तात्पर्य किसी संस्था में शिक्षण के लिये सेवायोजित व्यक्ति से है और "अध्यापक" के अन्तर्गत आचार्य या प्रधान अध्यापक भी है ।

अध्याय—दो

आयोग की स्थापना और कृत्य

आयोग की स्थापना

3—(1) ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, एक आयोग स्थापित किया जायगा जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग कहलायेगा :

(2) आयोग एक निगमित निकाय होगा । वह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में शक्ति का प्रयोग करेगा, और इसका मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार द्वारा निदेशित किया जाय ।

आयोग की संरचना

4—(1) आयोग में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और कम से कम छः और अधिक से अधिक आठ अन्य सदस्य होंगे ।

(2) सदस्यों में से,—

(क) एक ऐसा व्यक्ति होगा जो राज्य सरकार की राय में, न्यायिक सेवा के ज्येष्ठ स्तर का हो या रहा हो ;

(ख) दो ऐसे व्यक्ति होंगे जो राज्य सरकार की राय में, राज्य शिक्षा सेवा के ज्येष्ठ स्तर के हों या रहे हों ;

(ग) अन्य व्यक्ति (एक) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के आचार्य के रूप में या (दो) किसी ऐसे विश्वविद्यालय से संबद्ध या मान्यता-प्राप्त महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में कम से कम दस वर्ष की अवधि के (तीन) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन मान्यता प्राप्त किसी संस्था के प्राचार्य के रूप में कम से कम पन्द्रह वर्ष की अवधि के अध्यापन का अनुभव रखने वाले होंगे।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति उस दिनांक से प्रभावी होगी जिस दिनांक को उसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।

सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें

5---(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक सदस्य छः वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा।

(2) कोई व्यक्ति निरन्तर दो पदावधि से अधिक के लिये आयोग का सदस्य नहीं होगा।

(3) आयोग का कोई सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है, किन्तु वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका त्याग-पत्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकार न कर लिया जाय।

(4) सदस्यों का पद पूर्णकालिक होगा और उनकी सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार, आदेश द्वारा, निदेशित करे।

(5) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, यदि उसने बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, न तो आयोग का सदस्य नियुक्त किया जायगा और न इस रूप में बना रहेगा।

सदस्यों को हटाने की राज्य सरकार की शक्ति

6---(1) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, किसी सदस्य को पद से हटा सकती है यदि वह

(क) दिवालिया न्याय-निर्णीत किया जाय; या

(ख) अपनी पदावधि के दौरान, अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक सेवायोजन में कार्य करे; या

(ग) राज्य सरकार की राय में, मानसिक या शारीरिक दुर्बलता या सिद्ध कदाचार के कारण पद पर बने रहने के लिये अनुपयुक्त हो; या

(घ) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी अनर्हता का भागी हो जाय।

स्पष्टीकरण---जहां कोई सदस्य किसी संस्था द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या करार से, किसी प्रकार से संबद्ध हो या उसमें हितबद्ध हो या उसके लाभ में या उससे प्राप्त होने वाले किसी फायदे या उपलब्धि में किसी प्रकार से सदस्य से भिन्न रूप म सम्मिलित हो, वहां उसे खण्ड (ग) के प्रयोजनार्थ कदाचार का दोषी समझा जायगा।

(2) इस धारा के अधीन कदाचार के अन्वेषण और उसे सिद्ध करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

सहयुक्त करने की शक्ति

7---आयोग अपने साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिये जो धारा 34 के अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा अवधारित किये जायें, किसी ऐसे व्यक्ति को सहयुक्त कर सकता है जिसकी सहायता या सलाह वह इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये लेना चाहे।

आयोग का कर्मचारिवर्ग

8---(1) आयोग का सचिव राज्य सरकार द्वारा पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जायगा, और उसकी सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार, आदेश द्वारा, अवधारित करे।

(2) ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुए जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त जारी करे, आयोग ऐसे अन्य कर्मचारियों को, जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने के लिए आवश्यक समझे, और सेवा के ऐसे निबन्धन और शर्तों पर जिन्हें आयोग उचित समझे, नियुक्त कर सकता है।

आयोग की शक्तियां और कर्तव्य

9---आयोग की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, अर्थात्---

(क) ऐसी श्रेणियों के अध्यापकों की जैसी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, भर्ती और पदोन्नति की रीति से सम्बन्धित विषयों पर मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करना;

(ख) ऐसे अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिए जहां आवश्यक समझा जाय, परीक्षाएं संचालित करना, साक्षात्कार करना और अभ्यर्थियों का चयन करना;

(ग) खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विशेषज्ञों का चयन करना और उन्हें आमंत्रित करना और परीक्षक नियुक्त करना;

(घ) चयन किये गये अभ्यर्थियों की नियुक्ति और उनकी पदोन्नति के सम्बन्ध में सिफारिश करना;

(ङ) अनुसूची में विनिर्दिष्ट अध्यापकों की पदच्युति, हटाये जाने या पंक्तिच्युति से सम्बन्धित विषयों में प्रबन्धतंत्र को सलाह देना;

(च) अध्यापक पदों की सदस्य संख्या और अध्यापकों की नियुक्ति, पदोन्नति, पदच्युति, पद से हटाने, सेवा समाप्ति या पंक्तिच्युति के सम्बन्ध में नियतकालिक विवरणियां या अन्य सूचनायें संस्थाओं से प्राप्त करना;

(छ) परीक्षकों और परीक्षकों की उपलब्धियां और यात्रा भत्ते और अन्य भत्ते नियत करना;

(ज) आयोग में विहित निधि का प्रबन्ध करना;

(झ) धारा 12 के अधीन स्थापित बोर्ड को नीति के ऐसे विषयों पर, जिन्हें आयोग उचित समझे, सलाह देना;

(ञ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, जैसी विहित की जायें या जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन उसके कृत्यों का सम्पादन करने के लिये आनुषंगिक या सहायक हों।

अनुसूची में विनिर्दिष्ट अध्यापकों के चयन की प्रक्रिया

10—(1) अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अध्यापक की नियुक्ति करने के प्रयोजनार्थ प्रबन्धतन्त्र रिक्ति की सूचना आयोग को ऐसी रीति से और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के माध्यम से, जैसा विहित किया जाय, देगा।

(2) ऐसे अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी विहित की जाय:

परन्तु आयोग प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आमंत्रित करने की दृष्टि से उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित रिक्तियों का राज्य में व्यापक प्रचार करेगा।

आयोग द्वारा चयन किये गये अभ्यर्थियों का पैनल

11—(1) आयोग, धारा 10 के अधीन रिक्ति को अधिसूचित करने के पश्चात् यथाशक्ति अभ्यर्थियों का (परीक्षा सहित या रहित) साक्षात्कार करेगा और जो नियुक्ति के लिये सर्वाधिक उपयुक्त पाये जायं, उनका पैनल तैयार करेगा।

(2) आयोग उपधारा (1) में निर्दिष्ट पैनल को धारा 10 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय अग्रसारित करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन पैनल प्राप्त होने पर सम्बद्ध अधिकारी या प्राधिकारी उस संस्था के जिसके सम्बन्ध में धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन रिक्ति अधिसूचित की गई थी, प्रबन्धतन्त्र को अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिये चयन किये गये अभ्यर्थियों के नाम सूचित करेगा और इस प्रयोजन के लिए वह अधिकारी या प्राधिकारी उस प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विहित की जाय।

(4) प्रबन्धतन्त्र, ऐसी सूचना की प्राप्ति के दिनांक से एक मास की अवधि के भीतर उस अभ्यर्थी को जिसके नाम की सूचना उपधारा (3) के अधीन दी गयी हो, नियुक्ति-पत्र जारी करेगा।

(5) जहां उपधारा (3) में निर्दिष्ट अभ्यर्थी उस संस्था में इस समय के भीतर, जिसकी अनुमति नियुक्ति-पत्र में दी गई है, या जिसे प्रबन्धतन्त्र के द्वारा इस निमित्त बढ़ाया जाय, अध्यापक के पद का कार्यभार ग्रहण नहीं करता है या जहां ऐसा अभ्यर्थी ऐसे अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए अन्यथा उपलब्ध नहीं है, वहां सम्बद्ध अधिकारी या प्राधिकारी प्रबन्धतन्त्र के अनुरोध पर आयोग द्वारा उपधारा (2) के अधीन अग्रसारित पैनल से नये नाम, विहित रीति में सूचित करेगा।

अध्याय—तीन

माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन और कृत्य

संभागीय चयन बोर्डों की स्थापना

12—(1) ऐसे दिनांक या दिनांकों से जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, छः या इससे अधिक माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड स्थापित किये जायेंगे जिनकी अधिकारिता ऐसे स्थानीय क्षेत्र पर होगी जिसे राज्य सरकार उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करें।

(2) प्रत्येक ऐसा बोर्ड एक निगमित निकाय होगा और उसका मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।

(3) प्रत्येक ऐसे बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

(क) एक पूर्णकालिक सभापति जो राज्य सरकार द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट रखने वाले व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायगा;

(ख) उस स्थानीय क्षेत्र में जिसमें बोर्ड उपधारा (1) के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करता है, कार्यरत सम्भागीय उपशिक्षा निदेशकों में से एक जिसे राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा।

(4) इस धारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति उस दिनांक से प्रभावी होगी जिस दिनांक से जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।

(5) धारा 5 और 6 के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित बोर्ड के सभापति पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे आयोग के अध्यक्ष पर लागू होते हैं।

बोर्ड का कर्मचारिवर्ग

13--(1) इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों और कृत्यों का दक्षतापूर्वक सम्पादन करने के लिए प्रत्येक बोर्ड में ऐसा कर्मचारिवर्ग होगा जिसे राज्य सरकार समय-समय पर अवधारित करे।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कर्मचारिवर्ग के सदस्यों की सेवा के निबन्धन और शर्तें राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जायेंगी।

बोर्ड की शक्ति, कर्तव्य और कृत्य

14--(1) प्रत्येक बोर्ड को ऐसे स्थानीय क्षेत्र के, जिसमें बोर्ड अधिकारिता का प्रयोग करता है, भीतर स्थित किसी संस्था में (अनुसूची में विनिर्दिष्ट अध्यापक से भिन्न) अध्यापकों के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए अभ्यर्थियों का चयन करने की शक्ति होगी।

(2) बोर्ड को जूनियर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्राप्त अध्यापकों या बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्राप्त अध्यापकों को सर्टिफिकेट आफ टीचिंग ग्रेड में पदोन्नति के मामलों के पुनर्विलोकन की भी शक्ति होगी जहां ऐसी पदोन्नति 10 जुलाई, 1981 को या उसके पश्चात् की जाय।

(3) उपधारा (1) और (2) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड को निम्नलिखित शक्ति होगी:—

(क) परीक्षाएं जहां आवश्यक समझा जाय, संचालित करना या अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करना;

(ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विशेषज्ञों का चयन करना और उन्हें आमंत्रित करना और परीक्षक नियुक्त करना;

(ग) विशेषज्ञों और परीक्षकों की उपलब्धियां और यात्रा भत्ते और अन्य भत्ते नियत करना;

(घ) बोर्ड में निहित निधि का प्रबन्ध करना;

(ङ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जैसी विहित की जायं, या जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने के लिए आनुषंगिक या सहायक हों।

धारा 10 और 11 का बोर्ड पर लागू होना

15--धारा 10 और 11 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित (अनुसूची में विनिर्दिष्ट अध्यापक से भिन्न) किसी अध्यापक के चयन और नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए बोर्ड पर उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अध्यापक के चयन और नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए आयोग पर लागू होते हैं।

अध्याय—चार

चयन किये गये अध्यापकों की नियुक्ति

आयोग या बोर्ड की सिफारिश पर ही नियुक्तियां की जायंगी

16--(1) इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 या उसके अधीन बनाये गये विनियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी किन्तु धारा 18 और 33 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए,—

(क) अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अध्यापक की नियुक्ति 10 जुलाई, 1981 को या उसके पश्चात् प्रबन्धतंत्र द्वारा केवल आयोग की सिफारिश पर की जायगी;

(ख) (अनुसूची में विनिर्दिष्ट अध्यापक से भिन्न) किसी अध्यापक की नियुक्ति 10 जुलाई, 1981 को या उसके पश्चात् प्रबंधतंत्र द्वारा केवल बोर्ड की सिफारिश पर की जायगी:

परन्तु छंटनी किये गये कर्मचारियों के सम्बन्ध में इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16-ङङ के उपबन्ध इस संशोधन के साथ लागू होंगे कि उक्त धारा की उपधारा (2) में शब्द "छः मास" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायेंगे।

(2) किसी अध्यापक की नियुक्ति जिसमें उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है, शून्य होगी।

निदेशक द्वारा जांच

17---(1) जहां कोई व्यक्ति, यथास्थिति, अध्याय दो या अध्याय तीन के अनुसार किसी संस्था में अध्यापक के रूप में नियुक्ति पाने का हकदार है, किन्तु उसे इसके लिए उपबन्धित समय के भीतर प्रबन्धतंत्र द्वारा इस प्रकार नियुक्त नहीं किया गया है, वहां वह निदेशक को या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को उपधारा (2) के अधीन निदेश के लिए आवेदन कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जांच कर सकता है, और यदि उसका समाधान हो जाय कि प्रबंधतंत्र इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके आवेदक को अध्यापक के रूप में नियुक्त करने में विफल रहा है तो वह आदेश द्वारा---

(क) प्रबंधतंत्र को अध्यापक के रूप में आवेदक को तुरन्त नियुक्त करने और आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक से उसे वेतन का भुगतान करने का, और

(ख) सम्बद्ध संस्था के प्रधान को उससे अध्यापक के रूप में कार्य लेने का, निदेश दे सकता है।

(3) ऐसे अध्यापक को देय वेतन की धनराशि, यदि कोई हो, निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र पर कलेक्टर द्वारा संस्था को चलाने वाली सोसाइटी या निकाय की या उसमें निहित सम्पत्ति से भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

तदर्थ अध्यापक,

18---(1) जहां प्रबंधतंत्र इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार आयोग को किसी रिक्ति की सूचना देता है और---

(क) आयोग ऐसी सूचना के दिनांक से एक वर्ष के भीतर अनुसूची में विनिर्दिष्ट अध्यापक के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए किसी उपयुक्त अभ्यर्थी के नाम की सिफारिश करने में विफल रहता है, या

(ख) ऐसे अध्यापक का पद दो मास से अधिक अवधि के लिए वास्तव में रिक्त रहता है, वहां प्रबन्धतंत्र इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 या इसके अधीन बनाये गये विनियमों के अधीन विहित अर्हतायें रखने वाले व्यक्तियों में से किसी को सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा पूर्णतया तदर्थ आधार पर अध्यापक नियुक्त कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के उपबन्ध पद "आयोग" के स्थान पर पद "बोर्ड" को प्रतिस्थापित करते हुए (अनुसूची में विनिर्दिष्ट अध्यापक से भिन्न) किसी अध्यापक की तदर्थ आधार पर नियुक्ति के लिए लागू होंगे।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन तदर्थ अध्यापक की प्रत्येक नियुक्ति निम्नलिखित दिनांकों में से सर्वप्रथम दिनांक से प्रभावहीन हो जायेगी, अर्थात्---

(क) जब वह अभ्यर्थी जिसकी सिफारिश, यथास्थिति, आयोग या बोर्ड के द्वारा की गयी हो, कार्यभार ग्रहण करता है,

(ख) जब धारा 11 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट एक मास की अवधि समाप्त हो जाती है,

(ग) ऐसी तदर्थ नियुक्ति के दिनांक के बाद पड़ने वाला 30 जून।

सूचना आदि मांगने की शक्ति

19---आयोग या बोर्ड किसी संस्था के प्रबन्धतंत्र से, यथास्थिति, धारा 9 या धारा 14 में निर्दिष्ट विषयों के सम्बन्ध में ऐसी सूचना या विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है, जिसे वह उचित समझे, और प्रबन्धतंत्र उसका अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

अभिलेखा रजिस्टर आदि का निरीक्षण करने की शक्ति

20---प्रबंधतंत्र के कब्जे में विद्यमान प्रत्येक अभिलेख, रजिस्टर या दस्तावेज पर आयोग के सचिव या आयोग या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति की पहुंच होगी और वह किसी युक्तियुक्त समय पर किसी परिसर में जहां उन्हें यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसा अभिलेख, रजिस्टर या दस्तावेज है, प्रवेश कर सकता है और सुसंगत अभिलेखों या दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है और उनकी प्रतिलिपियां ले सकता है।

अध्यापकों को पदच्युत करने, पद से हटाने या पंक्तिच्युत करने पर निर्बन्धन

21---(1) अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अध्यापक को प्रबंधतंत्र द्वारा आयोग का पूर्वानुमोदन प्राप्त किये बिना न तो पदच्युत किया जायगा, न सेवा से हटाया जायगा और न पंक्तिच्युत किया जायगा और न ही उसकी परिलब्धियों में कोई कमी की जा सकेगी और न उसे सेवायें समाप्त करने का नोटिस दिया जा सकेगा।

(2) अनुसूची में विनिर्दिष्ट अध्यापक से भिन्न किसी अध्यापक को प्रबन्धतंत्र द्वारा बोर्ड का पूर्वानुमोदन प्राप्त किये बिना न तो पदच्युत किया जायगा, न सेवा से हटाया जायगा और न पंक्तिच्युत किया जायगा और न ही उसकी परिलब्धियों में कोई कमी की जा सकेगी और न उसे सेवायें समाप्त करने का नोटिस दिया जा सकेगा।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए किसी अध्यापक की पदच्युति या उसे सेवा से हटाये जाने या पंक्तिच्युत या सेवा समाप्ति या परिलब्धियों में कमी करने का प्रत्येक आदेश शून्य होगा।

अध्याय--पांच

शास्ति

अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके अध्यापकों की नियुक्ति के लिए दण्ड

22--कोई व्यक्ति जो, यथास्थिति, आयोग या बोर्ड की सिफारिशों का अनुपालन करने में विफल रहे या धारा 17 के अधीन निदेशक के आदेश या निदेश का अनुपालन करने में विफल रहे या इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी अध्यापक की नियुक्ति करे, दोषसिद्ध होने पर, ऐसी अवधि के लिए कारावास से जो तीन वर्ष तक हो सकता है या जुर्माना से जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।

सूचना प्रस्तुत करने में असफल रहने या जानबूझकर बाधा पहुंचाने के लिए दण्ड

23--यदि कोई व्यक्ति--

(क) जानबूझकर आयोग या बोर्ड द्वारा विधिपूर्वक अपेक्षित कोई विवरणी या सूचना रोक रखता है या उसके लिए स्वीकृत समय के भीतर उसे प्रस्तुत करने में विफल रहता है, या

(ख) किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के समस्त या किसी उपबन्ध को सम्यक् रूप से कार्यान्वित करने में जानबूझकर बाधा पहुंचाता है, दोषसिद्ध होने पर, ऐसी अवधि के लिए कारावास से जो एक वर्ष तक हो सकता है या जुर्माना से जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।

सोसाइटी द्वारा अपराध

24--(1) यदि धारा 22 या धारा 23 के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी हो तो सोसाइटी और अपराध किये जाने के समय उसके कार्य संचालन के लिए सोसाइटी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्ड दिया जा सकेगा :

परन्तु इस धारा की किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति दण्डनीय नहीं होगा, यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए पूरी तौर पर सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी द्वारा किया जाता है और यह सिद्ध हो जाता है कि अपराध उस सोसाइटी के किसी सदस्य की सहमति या मौनानुमति से किया गया है या ऐसा अपराध उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ है, वहां ऐसा सदस्य भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्ड दिया जा सकेगा।

अभियोजन का वर्जन

25--इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये कोई अभियोजन, निदेशक या ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी की, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश से विनिर्दिष्ट करे, पूर्व स्वीकृति के बिना संस्थित नहीं किया जायगा।

अध्याय--छः

प्रकीर्ण

कतिपय कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी

26--आयोग या बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जायगी कि----

(क) आयोग या बोर्ड के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि है; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि या अनियमितता है; या

(ग) ऐसे कार्य या कार्यवाही में कोई ऐसी त्रुटि या अनियमितता है जिसका तत्वतः कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

आदेशों का अधिप्रमाणीकरण

27--(1) आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय धारा 8 के अधीन नियुक्त सचिव, या आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

(2) बोर्ड के सभी आदेश और विनिश्चय सभापति या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1980 के अध्याय चार के उपबन्धों का लागू होना

28--उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 के अध्याय चार के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित इस अधिनियम के अधीन स्थापित आयोग या बोर्ड पर उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार से उस अधिनियम के अधीन स्थापित आयोग पर लागू होते हैं।

...बनाये गये विनियम द्वारा अपने अध्यक्ष या अपने किसी सदस्य या अधिकारी को आयोग द्वारा या आयोग में किये गये कार्यों के सामान्य पर्यवेक्षण और उनके सम्बन्ध में निदेश देने की अपनी शक्ति, जिसके अन्तर्गत कार्यालय के अनुरक्षण और आयोग के आन्तरिक प्रशासन के संबंध में किये गये व्यय से संबंधित शक्ति भी है प्रत्यायोजित कर सकता है।

अल्पसंख्यक संस्थाओं को छूट

30—इस अधिनियम की कोई बात 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट किसी अल्प-संख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था पर लागू नहीं होगी।

सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण

31—किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिये जो इस अधिनियम के अधीन सद्-भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 2 सन् 1921 का लागू किया जाना

32—इण्टरमीडियेट शिक्षा अधिनियम, 1921 और उसके अधीन बनाये गये विनियमों के उपबन्ध, जहां तक वे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के उपबन्धों से असंगत न हों, किसी अध्यापक का चयन करने, उसकी नियुक्ति, पदोन्नति, पदच्युत करने, उसे पद से हटाने, उसकी सेवा समाप्त करने या उसे पंक्तिच्युत करने के प्रयोजनार्थ प्रवृत्त बने रहेंगे।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

33—(1) राज्य सरकार किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिये किसी अधिसूचित आदेश द्वारा निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी अवधि के दौरान जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुये चाहे वे उपान्तर, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के आरम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् नहीं दिया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसे दूर करना अपेक्षित नहीं था।

विनियम बनाने की शक्ति

34—(1) आयोग चयन करने के लिये परीक्षाओं का जहां आवश्यक हो संचालन करने के लिये या साक्षात्कार करने के लिये फीस विहित करने हेतु और इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन और कृत्यों का सम्पादन करने के लिये आयोग द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया निर्धारित करने के लिये राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विनियम बना सकता है या उन्हें संशोधित कर सकता है :

परन्तु इस उपधारा के अधीन प्रथम विनियम राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में, अधिसूचना द्वारा, बनाये जायेंगे :

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये विनियम—

(क) इस अधिनियम या धारा 35 के अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से असंगत नहीं होंगे, और

(ख) उनका अनुसरण बोर्ड द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन और कृत्यों का सम्पादन करने के लिये यथासम्भव किया जायेगा।

नियम बनाने की शक्ति

35—राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

निरसन और अपवाद

36—(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (द्वितीय) अध्यादेश, 1981 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उ0प्र0 अध्यादेश संख्या 23, सन् 1981

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश, या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अध्यादेश, 1981, के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

उ0प्र0 अध्यादेश संख्या 8, सन् 1981

अनुसूची

(धारा 9 देखिये)

क्रम-संख्या	अध्यापकों की श्रेणी
1	इण्टरमीडियेट कालेज का प्राचार्य
2	इण्टरमीडियेट कालेज का प्रवक्ता
3	हाई स्कूल का प्रधान अध्यापक
4	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के अध्यापक

आज्ञा से,
गंगा बख्श सिंह,
सचिव।

No. 755(2)/VII-V-1—101-81

Dated Lucknow, February 26, 1982

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Sewa Ayog Aur Chayan Board Adhiniyam, 1982 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 5 of 1982) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on February 25, 1982:

THE UTTAR PRADESH SECONDARY EDUCATION SERVICES COMMISSION AND SELECTION BOARDS ACT, 1982

[U. P. Act no. 5 of 1982]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

An

Act

to establish Secondary Education Services Commission and Selection Boards for the selection of teachers in institutions recognised under the Intermediate Education Act, 1921.

It is hereby enacted in the Thirty-third Year of the Republic of India as follows :—

Chapter I

Preliminary

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards Act, 1982.

(2) It shall be deemed to have come into force on July 14, 1981, except section 21 which shall come into force on such date as the State Government may by notification appoint in this behalf.

Definitions.

2. In this Act,—

(*a*) 'Board' means the Secondary Education Selection Boards established under section 12 ;

(*b*) 'Chairman' means the Chairman of the Commission, and includes any other person performing, in the absence of the Chairman, for the time being, the functions of the Chairman ;

(*c*) 'Commission' means the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission established under section 3 ;

(*d*) 'Director' means the Director of Education, Uttar Pradesh and includes an Additional Director of Education, Uttar Pradesh ;

(*e*) 'Institution' means an Intermediate College or a Higher Secondary School or a High School recognised under the Intermediate Education Act, 1921, and includes institution maintained by a local authority but does not include an institution maintained by the State Government ;

(*f*) 'Management' in relation to an institution means the committee of management or person or authority vested with the power to manage and conduct the affairs of that institution ;

(*g*) 'Member' means a member of the Commission and includes its Chairman ;

(*h*) 'President' means the President of the Board and includes any other person performing in the absence of President, for the time being, the functions of the President ;

(*i*) 'Regulation' means any regulation made under section 34 ;

(*j*) 'Schedule' means the Schedule to this Act

(*k*) 'Teacher' means a person employed for imparting instruction in an institution and includes a Principal or a Headmaster.

CHAPTER II

ESTABLISHMENT AND FUNCTIONS OF THE COMMISSION

Establishment of the Commission.

3. (1) With effect from such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf, there shall be established a Commission to be called the "Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission".

(2) The Commission shall be a body corporate. It shall exercise powers throughout Uttar Pradesh and its headquarters shall be at such place as the State Government may direct.

Composition of the Commission.

4. (1) The Commission shall consist of a Chairman and not less than six and not more than eight other members to be appointed by the State Government.

(2) Of the members —

(*a*) one shall be a person who occupies or has occupied, in the opinion of the State Government, a position of eminence in Judicial Services ;

(*b*) two shall be persons who occupy or have occupied, in the opinion of such Government, a position of eminence in the State Education Services ; and

(*c*) others shall have teaching experiences as —

(i) Professor of any University established by law in Uttar Pradesh; or

(ii) Principal of any college recognised by or affiliated to any such University for a period of not less than ten years; or

(iii) Principal of any institution recognised under the Intermediate Education Act, 1921 for a period of not less than fifteen years.

(3) Every appointment under this section shall take effect from the date on which it is notified by the State Government.

Terms of office and conditions of service of members.

5. (1) Subject to the provisions of this Act every member shall hold office for a term of six years.

(2) No person shall be a member of the Commission for more than two consecutive terms.

(3) A member of the Commission may resign his office by writing under his hand addressed to the State Government, but he shall continue in office until his resignation is accepted by the State Government.

(4) The office of the members shall be wholetime and the terms and conditions of their service shall be such as the State Government may, by order, direct.

(5) Notwithstanding anything contained in this section, no person shall be appointed or continue as a member of the Commission, if he has attained the age of sixty-two years.

Powers of the State Government to remove the member.

6. (1) The State Government may, by order, remove from office any member, if he–

(*a*) is adjudged an insolvent; or

(*b*) engages, during his term of office, in any paid employment outside the duties of his office; or

(*c*) is, in the opinion of the State Government unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body or of proved misconduct; or

(*d*) incurs any disqualification under this Act or the rules made thereunder.

Explanation.–Where a member becomes in any way concerned or interested in any contract or agreement made by or on behalf of any institution or participates in any way in the profits thereof or in any benefit or emolument arising therefrom, otherwise than as a member, he shall, for the purpose of clause (*c*), be deemed to be guilty of misconduct.

(2) The procedure for the investigation and proof of misconduct under this section shall be such as may be prescribed.

Power to associate.

7. The Commission may associate with itself, in such manner and for such purposes as may be determined by regulations made under section 34, any person whose assistance or advice it may desire to have in carrying out any of the provisions of this Act.

Staff of the Commission.

8. (1) The Secretary of the Commission shall be appointed by the State Government on deputation for a term not exceeding five years, and other conditions of his service shall be such as the State Government may, by order, determine.

(2) Subject to such directions as may be issued by the State Government in this behalf, the Commission may appoint such other employees as it may think necessary for the efficient performance of its functions under this Act and on such terms and conditions of service as the Commission thinks fit.

Powers and duties of Commission.

9. The Commission shall have the following powers and duties, namely–

(*a*) to prepare guidelines on matters relating to the method of recruitment and promotion of such categories of teachers as are specified in the Schedule;

(*b*) to conduct examinations where considered necessary, hold interviews and make selection of candidates for being appointed as such teachers;

(*c*) to select and invite experts and to appoint examiners for the purposes specified in clause (*b*);

(*d*) to make recommendations regarding the appointment of selected candidates and their promotion;

(*e*) to advise the management in matters relating to dismissal, removal or reduction in rank of teachers specified in the Schedule;

(*f*) to obtain periodical returns or other informations from institutions regarding strength of the teaching staff and the appointment, promotion, dismissal, removal, termination or reduction in rank of teachers;

(*g*) to fix the emoluments and travelling and other allowances of the experts and examiners;

(*h*) to administer the funds placed at the disposal of the Commission;

(*i*) to advise the Boards established under section 12 on such matters of policy as the Commission thinks proper;

(j) to perform such other duties and exercise such other powers as may be prescribed or as may be incidental or conducive to the discharge of its functions under this Act or the rules or regulations made thereunder.

[illegible]edure of selection of teachers specified in the Schedule.

10. (1) For the purposes of making appointment of a teacher specified in the Schedule, the management shall notify the vacancy to the Commission in such manner and through such officer or authority as may be prescribed.

(2) The procedure of selection of candidates for appointment to the posts of such teachers shall be such as may be prescribed :

Provided that the Commission shall, with a view to inviting talented persons, give wide publicity in the State to the vacancies notified under sub-section (1).

Panel of candidates selected by Commission.

11. (1) The Commission shall, as soon as possible, after the notification of vacancy under section 10, hold interviews (with or without examination) of the candidates and prepare a panel of those found most suitable for appointment.

(2) The panel referred to in sub-section (1) shall be forwarded by the Commission to the officer or authority referred to in sub-section (1) of section 10 in such manner as may be prescribed.

(3) After the receipt of the panel under sub-section (2), the officer or authority concerned shall intimate the management of an institution in respect of which the vacancy was notified under sub-section (1) of section 10, the names of candidates selected for appointment as teachers, and for this purpose, the officer or authority shall follow such procedure as may be prescribed.

(4) The management shall, within a period of one month from the date of receipt of such intimation, issue appointment letter to the candidate whose name has been intimated under sub-section (3).

(5) Where the candidate referred to in sub-section (3) fails to join the post of a teacher in such institution within the time allowed in the appointment letter or within such extended time as the management may allow in this behalf, or where such candidate is otherwise not available for appointment as such teacher, the officer or authority concerned may, on the request of the management, intimate fresh name or names from the panel forwarded by the Commission under sub-section (2) in the manner prescribed.

CHAPTER III

Constitution and Functions of Secondary Education Selection Boards

Establishment of Regional Selection Boards.

12. (1) With effect from such date or dates [illegible] may, by notification, appoint in this behalf, there shall be established six or more Secondary Education Selection Boards having jurisdiction over such local area as the State Government may specify in the said notification.

(2) Every such Board shall be a body corporate and its headquarters shall [illegible]

(3) Every such Board shall consist of the following members, namely—

(a) one whole-time President appointed by the State Government from amongst the persons who fulfil the qualifications specified in sub-section (2) of section 4;

(b) one of the Regional [illegible] the local area over which the Board exercises jurisdiction under sub-section (1), to be nominated by the State Government.

(4) Every appointment under this section shall take effect from the date on which it is notified by the Government.

President of the Board as they apply to the Chairman of the Commission.

Staff of the Board.

13. (1) For the efficient discharge of its duties and functions under this Act, every Board shall have such staff as the State Government may, from

(2) The terms and conditions of service of the members of the staff appointed under sub-section (1) shall be determined by the State Government.

Powers, duties and functions of the Boards.

14. (1) Every Board shall have the power to make selection of candidates for being appointed as teachers (other than a teacher specified in the Schedule) in an institution located within the local area over which the Board exercises jurisdiction.

(2) The Board shall also have the power to review cases of promotion of Junior Training Certificated Teachers or Basic Training Certificated Teachers to Certificate of Teaching grade, where such promotion is made on or after July 10, 1981.

(3) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-sections (1) and (2), the Board shall have the power—

(*a*) to conduct examinations where considered necessary or to hold interview of candidates;

(*b*) to select and invite experts and to appoint examiners for the purposes specified in clause (*a*);

(*c*) to fix the emoluments and travelling and other allowances of the experts and examiners;

(*d*) to administer the funds placed at the disposal of the Board;

(*e*) to perform such other duties and exercise such other powers as may be prescribed or as may be incidental or conducive to the discharge of its functions under this Act or the rules or regulations made thereunder.

Applicability of sections 10 and 11 to the Boards.

15. The provision of sections 10 and 11 shall *mutatis mutandis*, apply to the Board for the purposes of selection and appointment of a teacher (other than a teacher specified in the Schedule) as they apply to the Commission for the purposes of selection and appointment of a teacher specified in the Schedule.

CHAPTER IV

APPOINTMENT OF SELECTED TEACHERS

Appointments to be made only on recommendations of the Commission or the Board.

16. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in the Intermediate Education Act, 1921 or the Regulations made thereunder but subject to the provisions of sections 18 and 33—

(*a*) every appointment of a teacher specified in the Schedule shall, on or after July 10, 1981; be made by the management only on the recommendation of the Commission.

(*b*) every appointment of a teacher (other than a teacher specified in the Schedule) shall, on or after July 10, 1981, be made by the management only on the recommendation of the Board:

Provided that in respect of retrenched employees, the provisions of section 16-EE of the Intermediate Education Act, 1921, shall apply with the modification that in sub-section (2) of the aforesaid section, *for* the words 'six months' the words 'two years' shall be deemed to have been *substituted*.

(2) Every appointment of a teacher, in contravention of the provisions of sub-section (1), shall be void.

Inquiry by Director.

17. (1) Where any person is entitled to be appointed as a teacher in any institution in accordance with Chapter II or Chapter III, as the case may be, but he is not so appointed by the management within the time provided modification that in sub-section (2) of the aforesaid section, *for* the words 'six a direction under sub-section (2).

(2) On receipt of an application under sub-section (1), the Director or the officer authorised by him may hold an inquiry, and if he is satisfied that the management has failed to appoint the applicant as a teacher, in contravention of the provisions of this Act, he may, by order, direct—

(*a*) the management to appoint the applicant as a teacher forthwith, and to pay him salary from the date specified in the order; and

(*b*) the Head of the Institution concerned to take work from him as a teacher.

(3) The amount of salary, if any, due to such teacher shall, on a certificate issued by the Director or the officer authorised by him, be recoverable by the Collector as arrears of land revenue from the property belonging to or vested in the society or body running the institution.

Ad hoc Teachers.

18. (1) Where the management has notified a vacancy to the Commission in accordance with the provisions of this Act, and—

(a) the Commission has failed to recommend the name of any suitable candidate for being appointed as a teacher specified in the Schedule within one year from the date of such notification; or

(b) the post of such teacher has actually remained vacant for more than two months, then, the management may appoint, by direct recruitment or promotion, a teacher on purely *ad hoc* basis from amongst the persons possessing qualifications prescribed under the Intermediate Education Act, 1921 or the regulations made thereunder.

(2) The provisions of sub-section (1) shall also apply to the appointment of a teacher (other than a teacher specified in the Schedule) on *ad hoc* basis with the substitution of the expression 'Board' for the expression "Commission".

(3) Every appointment of an *ad hoc* teacher under sub-section (1) or sub-section (2) shall cease to have effect from the earliest of the following dates, namely—

(a) when the candidate recommended by the Commission or the Board, as the case may be, joins the post;

(b) when the period of one month referred to in sub-section (4) of section 11 expires;

(c) thirtieth day of June following the date of such *ad hoc* appointment.

Power to call for information etc.

19. The Commission or the Board may require the management of an institution to furnish such information or return regarding the matters referred to in section 9 or section 14, as the case may be, as it thinks fit, and the management shall be bound to comply with the same.

Power to inspect record, register etc.

20. The Secretary of the Commission or any other person authorised by the Commission or the Board shall have access to every record, register or document in possession of the Management, and he may enter at any reasonable time, any premises where he believes such record, register or document to be and may inspect and take copies of relevant records or documents.

Restriction on dismissal, removal or reduction in rank of teachers.

21. (1) No teacher specified in the Schedule shall be dismissed or removed from service or reduced in rank and neither his emoluments may be reduced nor he may be given notice of removal from service by the management unless prior approval of the Commission has been obtained.

(2) No teacher other than a teacher specified in the Schedule shall be dismissed or removed from service or reduced in rank and neither his emoluments may be reduced nor he may be given notice of removal from service by the management unless prior approval of the Board has been obtained.

(3) Every order of dismissal, removal or reduction in rank or removal from service or reduction in emoluments of a teacher in contravention of the provisions of sub-section (1) or sub-section (2) shall be void.

CHAPTER V
PENALTIES

Punishment for appointment of teachers in contravention of the provisions of the Act.

22. Any person who fails to comply with the recommendations of the Commission or the Board, as the case may be, or fails to comply with the order or direction of the Director under section 17, or appoints a teacher in contravention of the provisions of this Act shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to five thousand rupees or with both.

Punishment for failure to furnish information or wilful obstruction.

23. If any person—

(a) wilfully withholds or fails to furnish any return or information lawfully required by the Commission or the Board within the time allowed therefor; or

(b) wilfully obstructs any person from duly carrying out all or any of the provisions of this Act.

he shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to one thousand rupees or both.

Offences by societies.

24. (1) If the person committing the offence under section 22 or section 23 is a society registered under the Societies Registration Act, 1860, the society as well as every person incharge of and responsible to the society for the conduct of its business at the time of the offence shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly :

Provided that nothing contained in this section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence under this Act has been committed by registered society and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of offence is attributable to any neglect on the part of any member of the society, such member shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Bar against prosecution.

25. No prosecution for an offence under this Act shall be instituted except with the previous sanction of the Director or such officer or authority as the State Government may, by general or special orders, specify in this behalf.

Chapter VI

Miscellaneous

Certain proceeding not to be invalidated.

26. No act or proceeding of the Commission or the Board shall be deemed to be invalid merely on the ground of—

(a) any vacancy or defect in the constitution of the Commission or the Board ; or

(b) any defect or irregularity in the appointment of a person acting as a member thereof ;

(c) any defect or irregularity in such act or proceeding not affecting the substance.

Authentication of the orders.

27. (1) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the signature of the Secretary appointed under section 8 or any other officer authorised by the Commission.

(2) All orders and decisions of the Board shall be authenticated by the signature of the President or any other officer authorised by the Board.

Provisions of Chapter IV of U. P. Act 16 of 1980 to apply.

28. The provisions of Chapter IV of the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission Act, 1980, shall *mutatis mutandis* apply to the Commission or Board established under this Act as they apply to the Commission established under that Act.

Delegation.

29. The Commission may, by regulation made under section 34, delegate to its Chairman or any of its members or officers, its power of general superintendence and direction over the business transacted by, or in the Commission including the powers with regard to the expenditure incurred in connection with the maintenance of the office and internal administration of the Commission.

Exemption to minority Institutions.

30. Nothing in this Act shall apply to an institution established and administered by a minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India.

Protection of action taken in goodfaith.

31. No suit, prosecution or other proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

Applicability of U. P. Act II of 1921.

32. The provisions of the Intermediate Education Act, 1921 and the Regulations made thereunder in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act or the rules or regulations made hereunder shall continue to be in force for the purposes of selection, appointment, promotion, dismissal, removal, termination or reduction in rank of a teacher.

Power to remove difficulties.

33. (1) The State Government may, for the purposes of [illegible] difficulty, by a notified order, direct that the provisions of [illegible] during such period as may be specified in the order, have effect subject [illegible] adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it [illegible] deem to be necessary or expedient :

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both the Houses of State Legislature.

(3) No order under sub-section (1) shall be called in question in any court on the ground that no difficulty as is referred to in sub-section (1) existed or required to be removed.

Power to make regulations.

34. (1) The Commission may, with the previous approval of the State Government, make or amend regulations prescribing fees for holding selections, for conducting examinations where necessary, or for holding interviews and laying down the procedure to be followed by the Commission for discharging its duties and performing its functions under this Act :

Provided that the first regulation under this sub-section shall be made by the State Government by notification in the official *Gazette*.

(2) The regulations made under sub-section (1) shall—

(*a*) not be inconsistent with the provisions of this Act or the rules made under section 35 ; and

(*b*) as far as possible, be followed by the Board for discharging its duties and performing its functions under this Act.

Power to make rules.

35. The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

Repeal and saving.

36. (1) The Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards (Second) Ordinance, 1981 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1) or the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards Ordinance, 1981, shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if this Act were in force at all material times.

U. P. Ordinance no. [illegible] 1981.
U. P. Ordinance no. [illegible] 1981.

THE SCHEDULE

(See section 9)

Serial no.	Categories of teachers
1	Principal of an Intermediate College.
2	Lecturer of an Intermediate College.
3	Headmaster of a High School.
4	Trained Graduates Grade Teachers of Higher Secondary School.

By order,
G. B. SINGH,
Sachiv.

मु०पू०(उ०प्र०)—उ०पी० 38 सा० (विधा०)—16-3-82—(4160)—1982—5,000 (मैक०)।